



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 ई०

आषाढ़ 23, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04

संख्या- 413531/XXX(4)/2026-02(22)/2015

देहरादून, 14 जुलाई, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 316(1) के अधीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल ले० जन०(से०नि०) श्री गजेन्द्र जोशी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।